राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44)/ग्राविवि – 5/पीएमएवाई/मोनी–1/मीटिंग/2016–17 जयपुर, दि. 25 जुलाई 2016

::बैठक कार्यवाही विवरण::

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में योजना प्रभारी (आवास)/ अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषदों के साथ दिनांक 18.07.2016 को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र परिवारों की वरीयता सूचीं को आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने एवं गत वर्षो के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के सम्बंध में चर्चा की गई।

बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता ग्रावि द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के शुभारंभ से पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारियों, वरीयता सूची अपलोड करने की प्रगति, गत वर्षो के अपूर्ण आवासों की प्रगति की समीक्षा कर, आवासों को पूर्ण कराने हेतु संचालित विशेष अभियान के सम्बंध में जानकारी दी गई। एजेण्डा बिन्दूओं पर निम्नानुसार चर्चा कर निर्देश प्रदान किये गये:–

1. वर्ष 2016–17 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण शुरू की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशों के प्रारूप में किये गये, वरीयता सूची अपलोड करने,देय लाभ व प्रावधानों के सम्बंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। एवं योजना के विधिवत शुभारंभ से पूर्व वरीयता सूची के अपडेशन एवं टैग अधिकारी नियुक्त कर पात्र लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर लक्ष्यानुसार स्वीकृती हेतु आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर लाभार्थियों के फार्म तैयार किये जावे।
2. दिनांक 28.06.2016 को आयोजित वी.सी में अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कार्ययोजनानुसार माह जुलाई में विशेष अभियान संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमें 10 जुलाई तक सीबीएस बैंक खाता एवं मोबाइल नम्बर, 1 जुलाई तक टैग अधिकारी, 1–3 जुलाई तक लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर सहमति पत्र प्राप्त करना, 5 जुलाई तक मस्टरोल जारी कर किश्त हस्तानान्तरण का प्रशासनिक आदेश जारी करना, 16–20 जुलाई लभार्थियों के द्वितीय प्रशिक्षण एवं जीओ टैग फोटो अपलोड कर एफटीओं जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।
3. जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार अजमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बून्दी चित्तौडगढ, चुरू, डूंगरपुर, जयपुर, झुन्झुन, झालावाड, व करौली जिलों द्वारा कार्य योजना के अनुसार गतिविधियॉ शुरू नही की गई है को कार्य योजनानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
4. विभाग द्वारा आवंटित माहवार लक्ष्यों के विरूद्व अभी तक 28.67 प्रतिशत प्रगति ही अर्जित की जा सकी है, के सम्बंध में जिला स्तर से सघन मॉनिटरिंग कर प्रति 10 आवास हेतु टैग अधिकारी की नियुक्ति कर नियमित रूप से लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित करा पूर्ण करवायें जावे, ताकि लक्ष्यानुसार आवास पूर्ण हो सके।
5. बैठक में उपस्थित हडकों के प्रतिनिधियों द्वारा सी.एम.बीपीएल. आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 एंव 2012–13 में यदि राशि की आवश्यकता न हो तो बकाया ऋण राशि का कटौती प्रस्ताव भिजवाकर, ऋण समाप्त करने के लिऐ निर्देश दिये गये है।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)